

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2014—कार्तिक 2, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ ए 3-56-2014-1-पांच (49).—क्र. एफ ए-3-56-2014-1-पांच(47).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 8 सितम्बर 2014 में प्रकाशित की गई मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 की गई अधिसूचना को नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित

उन शब्द, चिन्ह तथा अंक के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, चिन्ह तथा अंक पढ़े जाएं :-

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, चिन्ह तथा अंक (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द, चिन्ह तथा अंक आए हैं (2)		शुद्ध शब्द, चिन्ह तथा अंक जो कि पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
प्ररूप 10.1	831	17	प्ररूप 10, प्ररूप 10.1
जब तक कि विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उक्त बिल, बीजक या नगदी ज्ञापन में यथाउल्लिखित क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का टिन पृथक् से उपदर्शित न किया गया हो, ऐसा दावा नहीं किया जायेगा या किए जाने के लिये उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.”;	831	18 से 20	जब तक कि उक्त बिल, बीजक या नगदी ज्ञापन (कैश मैमोरेण्डम) में विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा संगृहीत धारा 9 के अधीन कर की रकम पृथक् नहीं दर्शाई गई हो और उसमें क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का टिन उपदर्शित न किया गया हो, ऐसा दावा नहीं किया जाएगा या किए जाने के लिये उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.”.
Form 10.1	832(1)	18	Form 10, Form 10.1
No such claim shall be made or be allowed unless the said bill, invoice or cash memorandum indicates separately TIN of the purchasing registered dealer as mentioned therein by the selling registered dealer.”;	832(1)	19 to 21	No such claim shall be made or be allowed unless the said bill, invoice or cash memorandum indicates separately the amount of tax under section 9 collected by the selling registered dealer and TIN of the purchasing registered dealer as mentioned therein by the selling registered dealer.”;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ-02(बी)14-2014-3-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 201 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“202. प्रहरी/मुख्य प्रहरी/प्रमुख मुख्य प्रहरी को उनके पैतृक जिलों में नियुक्त नहीं किया जाना तथा वह कालावधि जिसके पश्चात् उनका स्थानांतरण किया जाएगा. किसी भी प्रहरी/मुख्य प्रहरी/प्रमुख मुख्य प्रहरी को उसके पैतृक जिले के

किसी कारागार में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किसी भी प्रहरी/मुख्य प्रहरी/प्रमुख मुख्य प्रहरी को सामान्यतः किसी कारागार में पाँच वर्ष से अधिक बने रहने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा”.

F. No. F-02(B) 14-2014-Three-Jail.—In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENT

In this said rules, after rule 201, the following rule shall be inserted, namely :—

“202. Warder/Head Warder/Chief Head Warder not be appointed to jails in their native districts and period after which they shall be transferred.—No Warder/Head Warder/Chief Head Warder shall be appointed to a jail in their native district. No Warder/Head Warder/Chief Head Warder shall ordinarily be allowed to remain in a jail for more than five years”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-3-8-2014-बासठ.—राज्य शासन एतद्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान हेतु (शिक्षा एवं समाज सेवा) उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम 2014 का प्रकाशन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि डफरिया, उपसचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान हेतु (शिक्षा एवं समाज सेवा) उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम-2014

प्रदेश में निवासरत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के लोगों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य शासन विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों द्वारा इस जनजातियों के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में शिक्षा एवं समाज सेवा के लिये उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से प्रदेश के, निवासियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किये जाने हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम-विस्तार एवं प्रारम्भ.—**1.1 ये नियम विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान हेतु (शिक्षा एवं समाज सेवा) उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम-2014” कहे जायेंगे.

1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

1.4 मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा योजना के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जायेगा.

1.5 राज्य शासन द्वारा योजना प्रावधानों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा.

2. **योजना का उद्देश्य.**—विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों में अपने समाज के उत्थान की प्रक्रिया में भागीदारी के लिये रूझान और नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिये आवश्यकता महसूस की जा रही है. इस समाज के पिछड़े हुये शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को गति देने तथा शिक्षा एवं समाज के सर्वांगीण विकास के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत कर सम्मानित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.

3. **परिभाषाएँ.**—3.1 राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

3.2 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति से तात्पर्य उन जातियों से है जिन्हें म. प्र. शासन द्वारा राज्य के लिये विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति घोषित किया गया है.

3.3. "कलेक्टर/जिलाध्यक्ष" से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है.

3.4 "जूरी" से तात्पर्य इन नियमों के नियम 6.1 के अंतर्गत गठित निर्णायक मण्डल से है.

3.5 "मध्यप्रदेश निवासियों" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासियों को पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है.

4. **पात्रता.**—4.1 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के व्यक्ति को इस पुरस्कार की पात्रता होगी.

4.2 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के सर्वांगीण विकास यथा शैक्षणिक विकास, समाज सेवा, आर्थिक विकास तथा सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिये कार्य करने वाले समाज सेवक को ही पुरस्कार की पात्रता होगी.

4.3 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही पुरस्कार की पात्रता होगी.

5. **पुरस्कारों का स्वरूप.**—5.1 पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्ति को रुपये एक लाख नकद एवं पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदाय की जायेगी. पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य के निवासी तथा राज्य में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के हितों में शिक्षा एवं समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य करने वाले विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के हर वर्ष एक समाज सेवक को राज्य शासन द्वारा नियुक्त जूरी की ओर से चयन करने पर दिया जावेगा. उक्त पुरस्कार की नगद राशि एकाधिक व्यक्तियों के मध्य विभाजित भी हो सकती है.

6. **जूरी का गठन.**—6.1 राज्य शासन समन्वय में माननीय मंत्रीजी, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के आदेश/अनुमोदन से जूरी का गठन कर सकेगा. जूरी में निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित कर गठन किया जा सकेगा :—

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | माननीय मंत्रीजी,
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़
जनजाति कल्याण विभाग. | अध्यक्ष |
| 2. | अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं
अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण. | सदस्य |
| 3. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़
जनजाति कल्याण विभाग. | सदस्य |
| 4. | संचालक,
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़
जनजाति विकास. | सदस्य सचिव |

7. जूरी की शक्तियां.—

- 7.1 जूरी प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये अलग-अलग गठित की जावेगी.
- 7.2 जूरी के द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिये बंधनकारी होगा.
- 7.3 पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.
- 7.4 सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये एक ही समाजसेवी का चयन होगा, किन्तु जूरी यदि आवश्यक समझेगी तो वह एक पुरस्कार के लिये एकाधिक समाजसेवियों को राशि संयुक्त रूप से प्रदान कर सकेगी.
- 7.5 जूरी की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.
- 7.6 जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा. जूरी के सदस्य को वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार रहेगा.

8. चयन की प्रक्रिया.—पुरस्कारों के लिये उपयुक्त समाजसेवियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

- 8.1 जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास द्वारा अप्रैल माह में प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों/पत्रिका में राज्य शासन (विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विभाग) की ओर से परिशिष्ट दर्शित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा. प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिये कम से कम एक महीने का समय दिया जावेगा, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिये मान्य नहीं की जावेंगी, परन्तु विज्ञापित जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.
- 8.2 प्रविष्टियाँ समाजसेवी द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से उनकी समाज सेवा में योगदान से सुपरिचित व्यक्ति द्वारा राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जा सकेगी :—
 - (क) सामाजिक कार्यकर्ता का पूर्ण परिचय.
 - (ख) निर्दिष्ट विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्गों के उत्थान के लिये उनके द्वारा किये गये शिक्षा एवं समाज सेवा के कार्यों की विस्तृत जानकारी.
 - (ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार मिला हो, तो उसका विवरण
 - (घ) शिक्षा क्षेत्र एवं समाज सेवा कार्यों के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो, तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपि.
 - (ङ) शिक्षा क्षेत्र एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां, सत्य प्रतिलिपियां.
 - (ग) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित समाज सेवक की सहमति.
- 8.3 प्रतिवर्ष विज्ञापन जारी होने पर समाज सेवक को नवीन प्रविष्टि प्रस्तुत करनी होगी.
- 8.4 एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित समाज सेवक सेवा कार्य पुरस्कार के योग्य नहीं है. निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले समाज सेवक प्रतिवर्ष नवीन प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे.
- 8.5 प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्पूर्ती पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

- 8.6 प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा, परन्तु राज्य शासन को, जहां वह आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से, दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में, पुष्टि कराने का अधिकार होगा।
- 8.7 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा :—

पंजीयन क्रमांक	समाज सेवक का नाम तथा पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 8.8 पंजीयन के पश्चात् संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जूरी की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम 15 दिवस की समयावधि में तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी :—

1. समाज सेवक का नाम तथा पता
2. प्रस्तावक
3. समाज सेवक का संक्षिप्त परिचय
4. शिक्षा क्षेत्र एवं समाज सेवाकार्य की उपलब्धियां
5. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
6. पुरस्कार ग्रहण करने बावत् सहमति

9. चयन के मापदण्ड.—पुरस्कारों के लिये उत्कृष्ट समाजसेवी/सेवियों के चयन हेतु निम्न मापदण्ड रहेंगे :—

- 9.1 पुरस्कारों के लिये जूरी द्वारा ऐसे नागरिकों का चयन किया जावेगा, जो मध्यप्रदेश राज्य का निवासी हो, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग का हो एवं मध्यप्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग की सेवा की हो।
- 9.2 जूरी के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ग के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष पुरस्कार की जूरी के वे सदस्य हैं।
- 9.3 शासकीय एवं अर्द्धशासकीय वेतन भोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 9.4 सेवाकार्य मध्यप्रदेश राज्य में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग से ही संबंधित होना चाहिए।
- 9.5 पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के शिक्षा क्षेत्र एवं समाज सेवाकार्यों का आंकलन आवश्यक है और उक्त कार्यों में समाजसेवी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है।

- 9.6 समाज सेवी को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग की दीर्घकालिक सेवा की है तथा वे अब भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेंगे. सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरन्तरता आवश्यक है.
- 9.7 पुरस्कार चूंकि समाज सेवक के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये शिक्षा क्षेत्र एवं समाज सेवाकार्य में ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए.
- 9.8 शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में समाजसेवी के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.
- 9.9 किसी स्वैच्छिक संस्था से संबद्ध समाजसेवी के उसी कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा जिस कार्य से समाजसेवी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और अब भी हैं. संस्था की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाजसेवी के हित में आंकलन नहीं होगा.
- 9.10 आवेदक पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो, तथा किसी अपराध में उसे कोई सजा नहीं हुई हो.

10. **पुरस्कारों की घोषणा.**—जुरी द्वारा जिन समाजसेवियों का चयन होगा, उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी. उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित समाजसेवी/सेवकों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

11. **अलंकरण समारोह.**—पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह शासन द्वारा प्रतिवर्ष तिथि निर्धारण कर किया जावेगा. पूर्व के वर्षों में चयनित समाजसेवियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी. समाजसेवी को रेलगाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, ग्रेड-ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता रेल से अथवा वायुयान से होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी, ग्रेड-ए के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

12. **व्यय की संपूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां.**—पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं (वितरण व्यवस्था हेतु अधिकतम रुपये 1.00 लाख की सीमा में) पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये बजट में हर वर्ष, समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा एवं स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास, मध्यप्रदेश को होंगे. इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी.

13. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—राज्य शासन विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग को इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामलों के, जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग में वेष्टित होंगे.

14. **पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव.**—संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास, मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित समाजसेवियों आदि का रिकार्ड वर्षवार के लिये अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. चयनित समाजसेवी के जीवन चरित्र, सेवाकार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जावेगी. जिसमें पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के अद्यतन विवरण दिये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि डफरिया, उपसचिव.